FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• राजू पुत्र हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य
–प्रार्थी

बनाम

• कैलाश पुत्र हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य
–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 131,136 राज0 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर 62/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/137...

वकील प्रार्थीः– योगेश शर्मा वकील अप्रार्थीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/11/25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्राथी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 10/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के तामिल शुदा सम्मन नोटिस प्राप्त। प्रतिवादीगण उप0। इंतजार जवाब हेतु तथा मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 17/12/25 को पेश हो।	
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,5,6,10 उप0। तथा सहमति बाबत अपना इकरारनामा पेश किया तथा शेष अप्रार्थी से जवाब पेश किया जावे वादी आपसी सहमति के आधार पर बहस हेतु दिनांक 21.1.2026 को पेश हो।	सहमति (सहमत) कैलाश घीसा छोटू नि.-वाली धन्ना लाल सहमती नि. शोभा

21/1/26. पत्रावली पेश हुई। वकील याचीगण उप०। बहस
सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पैरोकार थाना प्रांजल रिपोर्ट के आधार प्र० वकील
वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक
से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
पंजिका दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।
[signature]

़्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 62/2025
अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधि0 1956

राजू पुत्र हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई, जिला अजमेर, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई, जिला अजमेर राजस्थान
2. घीसा पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी मोगादीत. तहसील अरोंई जिला अजमेर राजस्थान
3. छोटू पुत्र औंकार जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
4. धन्ना पुत्र हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
5. धन्नालाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
6. न्याली पत्नि हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
7. मनमर उर्फ मन्ना पुत्री भुरा जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
8. मोहनीदेवी पुत्री भुरा जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
9. शोभा पुत्री हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
10. सम्पति पुत्री हरकरण जाति बैरवा निवासी मोगादीत, तहसील अरॉई जिला अजमेर राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 21.1.2026

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा पैतृक संपति खसरा नम्बर 715/26 नया 26/5 पुराना क्षेत्रफल 2.5888 हैक्टेयर ग्राम मोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है एवं उसके वारिसान निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम मोगादीत की जमाबंदी संवत् 2041 में खसरा नंबर 26/5 रामलाल पुत्र मुरा तथा औंकार वल्द भैरू चमार सा. देह खातेदार दर्ज है अर्थात् रामलाल का हिस्सा 1/2 तथा औंकार का हिस्सा 1/2 स्थित है जमाबंदी सवंत् 2042 से 2045 में खसरा नंबर 26/5 मे नामांतरण संख्या 48 दिनांक 23/04/1986 द्वारा आँकार की जगह रामदेव, बिरदा, हरकरण, छोटु पि. औंकार तथा मुली बेवा औंकार का विरासत नामांतरण भरा गया है। जमाबंदी सवंत् 2046 से 2049 मे नामांतरण सख्या 221 द्वारा खसरा नंबर 26/5 गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुआ। जमाबंदी संवत् 2058--61 में नामांतरण संख्या 730 विरासत से मुली बेवा औंकार की जगह रामदेव, बिरदा, छोटू, हरकरण पि. औंकार दर्ज हुआ तथा हरकरण पि. औंकार की जगह न्याली पत्नि हरकरण, कैलाश, धन्ना, राजु पि. हरकरण तथा सम्पति, शौभा पुत्री हरकरण के नाम से दर्ज हुआ। जमाबंदी संवत् 2073 व 2076 में नामांतरण सख्यां 1690 दिनांक 5/10/2018 विरासत रामलाल पुत्र मुरा की जगह मोहनी, मनमर पुत्रियां भुरा ने नामांतरण भरा गया। जमाबंदी संवत् 2073–76 से न्याली ने नामांतरण संख्या 1859 दिनांक 22/12/2020 बिरदा पुत्र औंकार ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा तथा सम्पति पुत्री हरकरण ने अपना 1/40 हिस्सा धन्नालाल पुत्र रामलाल बैरवा को बैचान किया इस तरह धन्नालाल पुत्र रामलाल का कुल हिस्सा 1/8 हुआ। उपरोक्त भूमि राजस्व ग्राम मोगादीत पटवार हल्का मोगादीत तहसील अराई में स्थित होने से श्रीमान् को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मोगादीत पटवार हल्का मोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान के वर्तमान खसरा संख्या 715/26 में दर्ज प्रार्थी का हिस्सा सवत् 2041 की जमाबंदी अनुसार

एवं प्रार्थी के पिता हरकरण के वारिसान का हिस्सा पुर्व जमाबंदी अनुसार शुद्ध किये जाने बाबत निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 18.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 10.12.2025 प्राप्त हुए तथा 17.12.2025 को अप्रार्थी संख्या 1,2,3 व 5,6 तथा 10 द्वारा आपसी सहमति बाबत अपने हस्ताक्षर किये गये तथा शेष अप्राथीगण का जवाब बन्द किया गया । पेरोकार सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार बिन्दु से 01 के सन्दर्भ में ग्राम मोगादीत के वर्तमान खसरा नं. 715/26 रकबा 2 5888 हैक्टेयर है. जिसका कब्जा काश्त वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पास ही है। (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है) ग्राम मोगादीत की जमाबन्दी संवत 2041 में खसरा नं. 26/5 रामलाल पुत्र भूरा तथा ऊंकार, मूली बेवा ऊंकार का विरासत का नामान्तरकरण भरा गया। (प्रतिलिपि संलग्न है) ग्राम मोगादीत की जमाबन्दी संवत 2042–45 में नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 23.04.1986 द्वारा ऊंकार की जगह रामदेव, बिरदा, हरकरण छोटू पि. ऊंकार मूली बेवा ऊंकार का विरासत का नामान्तरकरण भरा गया। (प्रतिलिपि संलग्न है)सन्दर्भ में ग्राम मोगादीत की जमाबन्दी संवत 2046–49 में नामान्तरकरण संख्या 221 द्वारा खसरा नं. 26/5 गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुआ। (प्रतिलिपि संलग्न है) ग्राम मोगादीत की जमाबन्दी संवत 2058–61 में नामान्तरकरण संख्या 730 (विरासत) से मूली बेवा ऊंकार दर्ज हुआ तथा हरकरण पि. ऊंकार की जगह न्याली पत्नी हरकरण, कैलाश, धन्ना, राजू पि. हरकरण सम्पति, शोभा पुत्रियां हरकरण के नाम दर्ज हुआ। (प्रतिलिपि संलग्न है) बिन्द्र स 06 के सन्दर्भ में ग्राम मोगादीत की जमाबन्दी संवत 2073–76 में अन्तरकरण सख्या 1690 दिनांक 05.10.2018 विरासत से रामलाल पुत्र भूरा की जगह मोहनी मनभर पुत्रिया भूरा का नामान्तरकरण भरा गया। (प्रतिलिपि संलग्न है। बिन्द स.07 के सन्दर्भ में ग्राम भोगादीत की जमाबन्दी संवत 2073–76 (वर्ष 2019) अपना सम्पूर्ण हिस्सा तथा सम्पति पुत्र हरकरण ने अपना 1/40 हिस्सा पन्नालाल हे स्थायी में नामान्तरकरण संख्या 1859 दिनाक 22.12.2020 से बिरदा पुत्र ऊंकार ने बुरामलाल बैरवा को बेचान किया। अतः धन्नालाल पुत्र रामलाल का हिस्सा 1/8 हुआ । पेरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोगादीत की जमाबन्दी अलग 2041 के अनुसार रामलाल पुत्र भूरा तथा ऊकार वल्द भैरू दो अलग बालेदार होने के कारण इनका हिस्सा बराबर है इस तरह ग्राम मोगादीत के वर्तमान खतरानं 715/26 में रामलाल पुत्र भूरा का हिस्सा 1/2 तथा ऊंकार वल्द भैरू का हिस्सा 1/2 निहित है। चूंकि वर्तमान में उक्त दोनों खातेदार फौत हो चुके है अतः इनके वारिसानों के हिस्से इसी आधार पर निहित है तथा इसी हिस्से के आधार पर सभी काश्तकार का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। (रामलाल पुत्र भूरा तथा ऊंकार बल्द बैंक का पारिवारिक सजरा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित है)

तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट अनुसार पेरोकार जवाब अनुसार उक्तानुसार शुद्धि किया जाने की अनुशंषा की गई है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि राजस्व ग्राम मोगादीत तहसील अराई के वर्तमान खसरा नं0 715/26 में दर्ज प्रार्थी का हिस्सा संवत 2041 की जमाबन्दी अनुसार एवं प्रार्थी के पिता हरकरण के वारिसान का पूर्व जमाबंदी अनुसार शुद्ध किया जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)